लक्ष्य 5 लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और लड़कियों का सशक्तिकरण करना

2030 तक	
5.1	सभी जगह सभी महिलाओं और बालिकाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभावों का अंत करना
5.2	सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में सभी महिलाओं और बालिकाओं के विरूद्ध सभी प्रकार की हिंसा का अंत करना जिसमें ट्रैफिकिंग और यौन तथा अन्य प्रकार के शोषण भी शामिल हैं।
5.3	सभी हानिकारक प्रथाओं जैसे बाल, समय पूर्व और जबरदस्ती विवाह और महिला जननांग विकृति का अंत करना।
5.4	जन सेवा, अवसंरचना और सामाजिक नीतियों के प्रावधान के माध्यम से अदत्त देखभाल और घरेलू कार्य का सम्मान कार्य का सम्मान तथा गृहस्थी और परिवार के साझे उत्तरदायित्व को राष्ट्रीय स्तर पर उचित रूप से बढ़ावा देना।
5.5	राजनैतिक, आर्थिक एवं लोक जीवन में निर्णय लेने के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए नेतृत्व के लिए समान अवसर तक पूर्ण और कारगर सहभागिता सुनिश्चित करना।
5.6	जनसंख्या और विकास संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के कार्रवाई के कार्यक्रम और बीजिंग कार्रवाई के प्लैटफॉर्म तथा उनके समीक्षा सम्मेलनों के परिणाम दस्तावेजों के अनुसार यथा सम्मत यौन और प्रजनक अधिकारों तक सर्वव्यापक पहुंच सुनिश्चित करना।
5.क	महिलाओं को राष्ट्रीयकानूनों के अनुसार भूमि और अन्य प्रकार क संपत्ति, वित्तीय सेवाओं, विरासत तथा प्राकृतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की सुलभता के साथ–साथ आर्थिक संसाधनों के संबंध में समान अधिकार प्रदान करने हेतु सुधार करनां
5.ख	महिलाओं सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए समर्थकार प्रौद्योगिकी विशेष कर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाना।
5.ग	लैंगिक समानता को बढ़ावा देने तथा सभी स्तरों पर महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए सुदृढ़ नीतियों और प्रवर्तनीय विधान को अपनाना और उनका सुदृढ़ीकरण करना।

5

लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और लड़कियों का सशक्तिकरण करना

राष्ट्रीय योजनाएं एवं गनीतियां

नोडल मंत्रालय. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार

केन्द्र प्रायोजित योजनाएं (CSS)	संबंधित हस्तक्षेप	लक्ष्य	अन्य संबंधित मंत्रलय एवं विभाग
1. महिला सशक्तिकरण मिशन साथ में इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (Core) 2. किशोर लड़कियों केक लिए राजीव गांधी योजना (सबला) (Core)	1. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2. सुकन्या समृद्धि योजना 3. महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार सहायक कार्यक्रम (STEP) 2014 4. जननी सुरक्षा योजना (JSY) 5. स्वधार 2011 (कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए एक योजना) 6. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV)	लक्ष्य 5.1	महिला एवं बाल विकास
		लक्ष्य 5.2	महिला एवं बाल विकास
		लक्ष्य 5.3	महिला एवं बाल विकास
		लक्ष्य 5.4	महिला एवं बाल विकास
		लक्ष्य 5.5	महिला एवं बाल विकास
		लक्ष्य 5.6	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास
		लक्ष्य 5.क	महिला एवं बाल विकास, भूमि संसाधन, शहरी विकास, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन
		लक्ष्य 5.ख	दूर संचार, महिला एवं बाल विकासए इलेक्ट्रोनिक्स एवं तकनीक सूचना विभाग
		लक्ष्य 5.ग	महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय

Source: - http://niti.gov.in/writereaddata/files/SDGsV20-Mappingo80616-DG_o.pdf

खामियां और चुनौतियां

हमारे समाज में घरेलू, सामाजिक और सार्वजनिक हिंसा बड़े स्तर पर प्रचलित है। 'पति एवं संबंधियों द्वारा क्रूरता' सर्वाधिक है (43. 6 प्रतिशत)। अपराधों में उसकी शील पर हमले (18.6 प्रतिशत) उनके अपहरण एवं भगाने के मामले (15.7 प्रतिशत), बलात्कार(10.2 प्रतिशत), अपमान (3.8 प्रतिशत), दहेज निषेध के अधिनियम 3.7 प्रतिशत (समुदाय आधारित संगठन, 2013)। बलात्कार की पीड़ित महिलाओं में 36 प्रतिशत लड़कियों की उम्र 18 वर्ष कम है।

राष्ट्रीयपरिवारस्वास्थ्य सर्वे 4 के अनुसार 28 प्रतिशत महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हैं। वर्ष 2005 से 2014 तक के राष्ट्रीयअपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं पर होने वाले अपराधों की संख्या बढ़ी है। यह 3.1 प्रतिशत से बढ़कर 4.7 प्रतिशत हो गई है। इससे 50 प्रतिशत अपराधों की दर बढ़ी है(एनसीआरबी 2015)।

जब महिलाओं के अधिकारो का हनन होता है तो उनकी न्याय तक पहुंच मुश्किल होती है। 10.8 प्रतिशत पति और संबंधियों द्वारा क्रूरता के मामले दर्ज किए गए जबकि दोषसिद्धि सिर्फ 1.6 प्रतिशत हुई। महिला के अपमान के मामलों में सर्वाधक दोषसिद्धि 7.8 प्रतिशत है। पिछले दशक में दोषसिद्धि के मामले 32 प्रतिशत से घटकर 21 प्रतिशत हो गई जबकि अपराध 73 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत हो गए हैं।

महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के संबंध में वर्ष 2015 में 12.3 प्रतिशत महिला सदस्य दोनों सदनों को मिलाकर थे। इस संबंध में विश्व में भारत का 108 वां स्थान है। (भारत सरकार, 2015)। महिलाओं के आरक्षण का बिल संसद में अनिश्चित समय के लिए पेंडिंग पड़ा हैं

गैर–कृषि क्षेत्र में महिलाओं के रोजगार विभिन्न राज्यों में अलग–अलग हैं। मणिपुर (41.6 प्रतिशत) में आनुपातिक रूप से सर्वाधिक मानी गई। इसके बाद त्रिपुरा(33 प्रतिशत), तमिलनाडु (32.5 प्रतिशत), केरल(30.8 प्रतिशत) और मेघालय(30 प्रतिशत)। सबसे कम गैर–कृषि क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या बिहार(1.6 प्रतिशत), झारखंड(9.1 प्रतिशत) और उत्तराखंड (9.1 प्रतिशत)।

(भारत सरकार, 2015)

5

लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और लड़कियों का सशक्तिकरण करना

सुझाओ

1. महिलाओं को हिंसा से बचाने के लिए विधानों को घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर हिंसा या सार्वजनिक रूप से हिंसा के विरूद्ध पर्याप्त सहायक तंत्र के साथ सख्ती से कार्यान्वित किया जाए।
2. महिलाओ के लिए संसद में आरक्षित सीटों के विधान को तुरन्त लागू किया जाए जिससे कि महिलाएं राजनीतिक रूप से सशक्त हो सकें तथा समाज में व्याप्त पितृसत्ता की वजह से होने वाली लैंगिक असमानता को समाप्त कर सकें।
3. राजनीतिक पदों के अलावा महिलाओं को शिक्षा एवं रोजगार में भी आरक्षण होना चाहिए।
4. लैंगिक समावेश के लिए जमीनी स्तर के समुदायों में लैंगिक संसाधन केन्द्रों की स्थापना की जाए और दक्षता प्रशिक्षण दिया जाए ताकि आर्थिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।
5. महिलाओं के यौन स्वास्थ्य तथा उनकी प्रजनन क्षमता में सुधार के लिए प्राथमिकता के आधार पर उनकी स्त्री रोगों का इलाज निशुल्क किया जाए।
6. महिलाएं घर की देखभाल और घरेलू कार्य करती हैं जो कि वर्तमान में अवैतनिक है ऐसी सभी महिलाओं के बैंक खाते में न्यूनतम मजदूरी के बराबर सरकार सीधे उनके खाते में जमा कराए।
7. महिलाओ के देखभाल के बोझ को कम करने के लिए बच्चों की देखभाल के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए जनसेवाओं को सुदृढ़ किया जाए।
8. महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष बलों का निर्माण किया जाए और ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएं जिससे महिलाओं की कार्यस्थल, परिवहन एवं घर में सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
9. महिलाओं पर होने वाले अपराधों के निपटान के लिए विशेष अदालतों की स्थापना की जाए और पुलिस द्वारा ऐसे मामलों की समुचित जांच की जाए ताकि दोषसिद्धि की दर बढ़े और अभी जो निराशाजनक स्थिति है उसे बदला जाए।